संचालनालय आयुष, म0प्र0

(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:mp_dismh@yahoo.com

Office (0755)2552516,2571187
Fax (0755)2760225,

क्रमांक/2/स्था0/2014/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

1 प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथिक/यूनानी,
महाविद्यालय, ... (म.प्र.)

2 संभागीय आयुष अधिकारी (समस्त)
संभाग .... (म.प्र.)

3 जिला आयुष अधिकारी (समस्त)
जिला .... (म.प्र.)

4 अधीक्षक
शासकीय आयुर्वेद/यूनानी फार्मेसी,
ग्वालियर /भोपाल

विषय :- संचालनालय आयुष के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों एवं ओषधालयों के समय का निर्धारण एवं निरीक्षण ।

--0--

संचालनालय आयुष के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित किये जा रहे आयुर्वेद /होम्योपैथी /यूनानी चिकित्सालयों एवं औषधालयों के खुलने व बन्द होने का समय निम्नानुसार है:-

औषधालयों के लिये	प्रातः 08 से 12 बजे तथा सायं 04 से 06 तक
चिकित्सालयों का बहिरंग विभाग	प्रातः 08 से 12 बजे तथा सायं 04 से 06 तक
चिकित्सालयों का अंतरंग विभाग	24 घन्टे निरन्तर रहेगा

2. <u>ग्रामीण क्षेत्रों के लिये</u>

औषधालयों के लिये	प्रातः 8.30 से 12.30 तक दोपहर 02 से 04 बजे तक

महाविद्यालय से संबद्व चिकित्सालय एवं औषधालय का नियमित रूप से निरीक्षण संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया किया जावेगा तथा परीक्षण में पाई गई कमियों का उल्लेख रजिस्टर मे किये जाकर सुधार के लिये निर्देश दिये जावेगे।

इसी प्रकार औषधालयों का निरीक्षण संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी जिला आयुष अधिकारी या जो भी होगा वह रोस्टर बनाकर करेगा और किये गये निरीक्षण का विवरण तिथिवार रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा निरीक्षण के समय पाई गई कमियों को पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी इन संस्थाओं का समय– समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा और वरिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण में यह पाया जाता है कि दिये गये उक्त निर्देशों का संबंधित अधिकारी ने भली भाति निर्वहन नही किया है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा प्रतिकूल अभियुक्तियॉ उसे संसूचित की जावेगी ।

अतः समस्त अधिकारी उक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संचालक
संचालनालय आयुष म.प्र.

कमांक/2/स्था0/2014/ 8386-8525 भोपाल, दिनांक 08-09-14

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2 समस्त कमिश्नर .... म.प्र.।
3 समस्त कलेक्टर .... म.प्र.।
4 शाखा प्रभारी अधिकारी, शाखा .... संचालनालय आयुष म.प्र.।
5 वरिष्ठ निज सहायक, स्टेनो शाखा संचालनालय आयुष म.प्र.

संचालक
संचालनालय आयुष म.प्र.